संख्या-1/2023/382/दो-8-2023/02-8099/6/2021

प्रेषक,

विजय कुमार संखवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासनिक अधिकारी (लेखा),
लाल बहादुर शास्त्रीत राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी, उत्तराखंड।

नियुक्ति अनुभाग-8 लखनऊ:दिनांक- 05 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश संवर्ग के 14 आई0ए0एस0 प्रशिक्षुओं पर किये गए व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-27030/2/2017-ACT, दिनांक-17.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2022-24 बैच के 14 प्रशिक्षु आई0ए0एस0 पर किये गए स्पेशल पे एडवांस, ट्रेकिंग, विलेज विजिट इत्यादि पर व्यय की गयी धनराशि रू0 1,09,84,910/- (रु0 एक करोड नौ लाख चौरासी हजार नौ सौ दस मात्र) का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-019 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003-प्रशिक्षण-08-भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षणाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण'' में प्रावधानित कुल धनराशि रु0 1,74,00,000/- (रु0 एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष कुल रु0 1,01,96,716/- (रु0 एक करोड़ एक लाख छियानवे हज़ार सात सौ सोलह मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2022-24 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण पर हुए व्यय के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अग्रेतर उल्लिखित शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

कोड सं0	व्यय की मद	प्रावधानित धनराशि (लाख रू0 में)	स्वीकृति/आवंटन (रु0 में)
1	2	4	5
01	वेतन अग्रिम	100.00	60,78,716.00
03	मंहगाई भत्ता	45.00	12,18,000.00
04	यात्रा-व्यय	29.00	29,00,000.00
	कुल धनराशि	174.00	1,01,96,716.00

(रु0 एक करोड़ एक लाख छियानवे हज़ार सात सौ सोलह मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. उक्त धनराशि का आहरण/प्रतिपूर्ति उसी मद में की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
2. संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत बिल के भुगतान की द्विआवृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त धनराशि का भुगतान 01-वेतन अग्रिम मद में रु0 60,78,716/- (रु0 साठ लाख अठहत्तर हज़ार सात सौ सोलह मात्र), 03-मंहगाई भत्ता मद में रु0 12,18,000/- (रु0 बारह लाख अठारह हज़ार मात्र) एवं 04-यात्रा-व्यय में रु0 29,00,000/- (रु0 उनतीस लाख मात्र) पर वास्तविक/नियमानुसार व्यय के आधार पर किया जाएगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-019 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003-प्रशिक्षण-08-भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षणाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण" 01-वेतन मद, 03-महंगाई भत्ता एवं 04-यात्रा व्यय के नामें डाले जायेंगे।

भवदीय,

विजय कुमार संखवार
विशेष सचिव।

संख्या-1/2023/382(1)/दो-8-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- कार्मिक अनुभाग-3/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।

6- नियुक्ति लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के पत्र दिनांक-17.10.2023 की छायाप्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि 01-वेतन अग्रिम मद में रु0 60,78,716/- (रु0 साठ लाख अठहत्तर हज़ार सात सौ सोलह मात्र), 03-मंहगाई भत्ता मद में रु0 12,18,000/- (रु0 बारह लाख अठारह हज़ार मात्र) एवं 04-यात्रा-व्यय में रु0 29,00,000/- (रु0 उनतीस लाख मात्र) का आहरण कर उसका भुगतान प्रशासनिक अधिकारी (लेखा), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड के पक्ष में एस0बी0 आई0 खाता संख्या-39520568440, खाता नाम-LBSNAA OTs advance, आई0एफ0एस0सी0कोड-एसबीआईएन-0002435 (ब्रान्च कोड-2435), मसूरी को कराने का कष्ट करें।

7- निदेशक/लेखा अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड।

8- नियुक्ति अनुभाग-8/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

विजय कुमार संखवार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।